

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1339

दिनांक 24/1/17

प्रेषित :-


तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व वाद सं. 66/2016 अनवान कौशलाराम बनाम केवाराम वगैरा पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 16.6.17 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंगन कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंगन :- निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।




सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्त्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendlax 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री मागीरथराम, आर.ए.एस.

अनवान वादी - 1.कौशलाराम पुत्र पनाराम जाति रबारी
निवासी सोनासर, तहसील चौहटन।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.केवाराम 2.मांगाराम 3.देवाराम पि. परागाराम 4.नेनूदेवी पत्नि परागाराम 5.भारूराम 6.निम्बाराम पि. धर्माराम 7.भूराराम 8.रावताराम 9.पैलादराम पि.महेन्द्राराम 10.वरजूदेवी पत्नि महेन्द्राराम जाति रबारी, निवासी सोनासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर। 11.तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन।

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री वीरमाराम धारासर
प्रतिवादीगण वकील - श्री हुकमसिंह गोदारा

वाद बाबत 53,88,188 RT Act.
मुकदमा नं. 66/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री वीरमाराम धारासर एड. मिनजानिब मुदाई व श्री हुकमसिंह गोदारा एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा सोनासर, पटवार क्षेत्र तारातरा मठ, तहसील चौहटन के खसरा सं. 906 रकबा 178.02 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर.....
..... बीज मबलिंग बाबत
..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.6.12 को जारी की गई।



दस्तखत कलक्टर
(SDO) चौहटन
ओहदा

मुदाई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वर्जी		
स्टाम्प सबूत			महनताना वकील) पर खर्चा		
पइमनामा वकील			गवाहान फीस कमीशनर बाबत		
खर्चा गवाहान			इजराय हुकमनामा मुतफरिक		
फीस कमीशनर				मीजान	
बाबत इजराय हुकमनामा					
मुतफरिक					
मीजान					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बेरंग
1	कौशलाराम पुत्र पन्नाराम, कौम रबारी, सा.देह	सोनासर	906	89.01	बा.दो.	4.45	हरा
2	केवाराम, मांगाराम, देवाराम पि. परागाराम, नेनूदेवी पत्नि परागाराम, भारूराम, नीम्बाराम पि. धर्माराम, भूराराम, रावताराम, पैलादराम पि. महेन्द्रा, वरजू पत्नि महेन्द्रा, कौम रबारी, सा.देह	सोनासर	906	89.01	बा.दो.	4.45	लाल



उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भागीरथराम)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलेक्टर
 सोनासर



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 66/2016

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अनवान

वादी - 1.कौशलाराम पुत्र पनाराम जाति रबारी
निवासी सोनासर, तहसील चौहटन।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.केवाराम 2.मांगाराम 3.देवाराम पि. परागाराम 4.नेनूदेवी पत्नि
परागाराम 5.भारूराम 6.निम्बाराम पि. धर्मराम 7.भूराराम 8.रावताराम
9.पैलादराम पि.महेन्द्राराम 10.वरजूदेवी पत्नि महेन्द्राराम
जाति रबारी, निवासी सोनासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
11.तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन।

अन्तर्गत धारा 53,88,188 RT Act.

निर्णय


दिनांक :- 16/6/17

वादी के वाद का सार इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 के संयुक्त कब्जे काशत व खातेदारी का खेत खसरा सं. 906 रकबा 178.02 बीघा मौजा सोनासर तहसील चौहटन में आया हुआ है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 10 का 1/2 हिस्सा है। वादी अपना 1/2 व प्रतिवादी सं. 1 से 10 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाकर बाई मिटस एण्ड बाउण्ट बंटवाड़ा करवाकर पृथक घोषित करवाने के लिए वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प तारातरा में पेश हुई। वादी वकील उपस्थित एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। वकील उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील उभयपक्षकारान ने कहा कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु सहमति जारी की।

पक्षकारान की आपसी सहमति से भूअ.नि. तारातरा एवं पटवारी तारातरा मठ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।




सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

पत्रावली लोक अदालत कोर्ट/कैम्प ०१.५.२०१७ में पेश हुई। पक्षकारान की आपसी सहमति से भूअ.नि. तारातरा एवं पटवारी तारातरा मठ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सोनासर, पटवार क्षेत्र तारातरा मठ, तहसील चौहटन के खसरा सं. 906 रकबा 178.02 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	कौशलाराम पुत्र पन्नाराम, कौम रबारी, सा. देह	सोनासर	906	89.01	बा.दो.	4.45	हरा
2	केवाराम, मांगाराम, देवाराम पि. परागाराम, नेनूदेवी पत्नि परागाराम, भारूराम, नीम्बाराम पि. धर्मराम, भूराराम, रावताराम, पैलादराम पि. महेन्द्रा, वरजू पत्नि महेन्द्रा, कौम रबारी, सा.देह	सोनासर	906	89.01	बा.दो.	4.45	लाल



उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्दा मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.6.17 को राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प ०१.५.२०१७ में सुनाया गया।


 सह (मार्गनिर्धारण)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन

मौका फर्द



आज दिनांक 10.6.2017 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चोंहरन के राजस्व खात नं. 66/16 में जारी प्राथमिक डिफ़ी दिनांक 2.6.2017 अनुसार मौजा सोनासर (प०म० तारातरा भ०) के ख.नं. 906 रकबा 178-02 बीघा का विभाजन प्रस्ताव तैयार काले हेतु वादी- प्रतिवादीगण व मौतबरान के साथ मौके पर पहुँचा।

मौके पर वादी व प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा-काश्त, व प्राथमिक डिफ़ी डि में घोषित हिस्सा अनुसार आने वाले रकबे का अवलोकन किया गया। वर्तमान वादी प्रतिवादीगण का संयुक्त खोटेदारी खेत का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम गाँव	नाम सहखातेदार	ख. नं.	रकबा	किस्म	लग
1.	सोनासर	केवारांम मांगाराम देव राम पि. परागा नेनु- देवी पालि परागा भरु निम्बा पि०धर्म भूरा रत्नग पेंलाद पि. महेन्द्रा वरजू पालि महेन्द्रा कौशला पुत्र पना कोम खारी सा०देठ खोतेदार	906	178.02	खा.दे.	8-9

14/6/17

मौके पर वादी-प्रतिवादीगण के कब्जा-काश्त, प्राथमिक डिफ्री में घोषित हिस्सा अनुसार वादी-प्रतिवादीगण की आपसी रजामेंदी से विभाजन निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख. नं.	ख. सं.	किस	लगान	बरेज
1.	सोनासर	कौशलाराम पुत्र पन्नाराम कौम खारी सा.देह (वादी)	906	89-01	बा.दे	4.45	
2.	"	केवाराम मांगाराम देवा राम पि. परागा नेबूदेवी पालि परागा भाखु नीम्बा पि.धर्मा भूर रावला पैलाद पि. महेन्द्रा वखू पालि महेन्द्रा कौम खारी सा.देह (प्रतिवादीगण)	906	89-01	बा.दे	4.45	

10/6/17
12/6/17

उक्तानुसार वादी-प्रतिवादीगण की सहमति से विभाजन तैयार कर मौका फर्द मौके पर तैयार कर पढ़कर दुगई गई व हस्ताक्षर/क्र.नि. करायें गये।


सहायक कलेक्टर
(SDO) बीहड़न

10/6/2017
14/6/2017

के.शारदा देवी (पन्नाराम)
भाखु नीम्बा (सोनासर/हरजोरा)
मेराराम (मेराराम/खेताराम)
पद्माश्री (पद्मलदाश्री/महेन्द्राराम)
देवाराम (देवाराम/प्रागाराम)
केवाराम (केवाराम/प्रागाराम)
भूराराम (भूराराम/मेराराम)



नक्शा किसवार
 मोजा - सोनासर
 तह - चौहरन
 पैमाना - 9" = 20 गज



(1) काशिलाराम पुत्र पनाराम कोम
 रबारी सा. देह (प्राची)

ख.नं. रकबा किसम लज
 906-89-01 बा.दो. 4-4

(2) केवाराम मांगाराम देवाराम पि.
 परागा नेनूदेवी पाले परागा भारू
 निम्बा पि. धर्मा, भूरा रावता पैलाद
 पि. महेन्द्रा वरजु पाले महेन्द्रा कोम
 रबारी सा. देह (प्रतिवादीगण)

906-89-01 बा.दो. 4-4

C.S
 10/6/2017

P-35 इमांक 636
 10/06/2017

जीराम
 पुनाराराम

खोह
 देह
 प्रतिवादी
 गण

खोह
 प्रतिवादी
 गण

EX (001)

केनाराम S/भारुप

जीराम
 पुनाराराम

10/6/2017

ILR - ता

आराम सा